# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020 / 145

1. नारायण सिंह आत्मज स्व0 नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. हनुमान सिंह आत्मज स्व0 श्री नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   - 1/2. स्व0 दिलीप सिंह आत्मज स्व0 श्री नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
     - 1/2/1. हर्ष वर्धन सिंह आयु 14 वर्ष आत्मज स्व0 दिलीप सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं प्रार्थी क्रम 03 श्रीमती फूल कंवर पत्नी श्री दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी सरस दूध की डेयरी के पास, शिवपुरा कोटा ।
     - 1/2/2. साक्षी कंवर आयु 16 वर्ष आत्मज स्व0 दिलीप सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं प्रार्थी क्रम 3 श्रीमती फूल कंवर पत्नी श्री दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी सरस दूध की डेयरी के पास, शिवपुरा कोटा ।
     - 1/2/3. श्रीमती फूल कंवर पत्नी स्व0 दिलीप सिंह जी जाति राजपूत निवासी सरस दूध की डेयरी के पास, शिवपुरा कोटा ।
2. भैरूसिंह आत्मज स्व0 नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायकमुकाम :–
   - 2/1. बलराज सिंह आत्मज स्व0 श्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी पुलिस लाईन बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 2/2. बलवीर सिंह आत्मज स्व0 श्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   - 2/3. श्रीमती तंवर कंवर पत्नी स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   - 2/4. श्रीमती आशा कंवर पत्नी स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   - 2/5. श्रीमती निशा कंवर पत्नी स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. किशोर सिंह आत्मज स्व0 नाथू सिंह ।
4. श्रीमती तेज बाई पुत्री स्व0 श्री नाथू सिंह ।
5. श्रीमती बल्लभ बाई पुत्री स्व0 श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 खुमान सिंह आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामः–
   1/1. राजेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/2. दशरथ सिंह आत्मज स्व0 खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/3. श्रीमती भंवर बाई पुत्री स्व0 खुमान सिंह पत्नी श्री नन्दसिंह जी जाति राजपूत निवासी छावनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती आजाद कंवर पुत्री स्व0 खुमान सिंह पत्नी श्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडी पोस्ट बिशनिया तहसील सीतामडा जिला मन्दसौर (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/4/1. श्री सुल्तान सिंह आत्मज अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडी पोस्ट बिशनिया तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) ।
   1/5. श्रीमती गुड्डी कंवर पुत्री स्व0 खुमान सिंह पत्नी श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. सुरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवीस ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. बृजराज सिंह हाडा आत्मज स्व0 लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी 260–उर्मिला स्कूल के पास, बापू कॉलोनी कुन्हाडी कोटा ।
4. भूपेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवीस मकान नं0 136–ए, आदित्य नगर ग्रामीण पुलिस लाईन रोड, बोरखेडा कोटा ।
5. विजेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. किशन सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. जितेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. बिशन सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. श्रीमती दौलत कंवर पुत्री श्रीमती भूली बाई पिता लक्ष्मण सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम झगनावदा तहसील पेटलावाद जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) ।
10. श्रीमती परवीन कंवर पुत्री श्रीमती भूली बाई पिता लक्ष्मण सिंह पत्नी नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 136– इ– आदित्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेडा कोटा ।
11. शिवराज सिं आत्मज स्व0 श्री चतर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंमजण्डी जिला कोटा ।

12. नन्दसिंह आत्मज स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा ।
13. विरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा ।
14. आनन्द कंवर पुत्री स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी व पोस्ट धवदकलां तहसील बेगू जिला चितौडगढ ।
15. ताज कंवर पुत्री भंवर बाई पिता चतर सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति रापजूत निवासी सुभाष कॉलोनी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
16. बिशनु कंवर पुत्री भंवर बाई पिता चतर सिंह जी पत्नी रणजी सिंह जाति राजपूत निवीस मकान नं0 30 कालका मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झालावाड जिला झालावाड ।
17. जुगराज सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कला तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
18. ओम सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
19. स्व0 श्री हरिसिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जरिये कायममुकामान :–
    19/1. धन सिंह आत्मज स्व0 हरिसिंह जाति राजपूत निवासी इमाम सागर की गली, बाडा बाजार झालावाड ।
    19/2. नरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 हरिसिंह जाति राजपूत निवासी इमाम सागर की गली, बाडा बाजार झालावाड ।
    19/3. सीमा शक्तावत पुत्री स्व0 हरिसिंह पत्नी जाति राजपूत निवीस खेडली फाटक लॉर्ड कृष्णा स्कूल के पास कोटा ।
    19/4. कंवर बाई पत्नी स्व0 हरिसिंह जी जाति राजपूत निवासी इमाम सागर की गली, बाडा बाजार, झालावाड।
20. शम्भू सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
21. दशरथ सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
22. रतन कंवर पुत्री स्व0 हनुवंत सिह जाति राजपूत निवासी नैनवा रोड, बकालाल जी की छतरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
23. भंवर सिंह आत्मज भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
24. दशरथ आत्मज भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
25. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
26. स्व0 भंवर बाई पुत्री भवानीसिंह पत्नी श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छोडी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जरिये कायममुकाम :–

26/1. युवराज सिंह आत्मज नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छावनी पोस्ट छावनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

26/2. नरपेन्द सिंह आत्मज नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छावनी पोस्ट छावनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

27. सोरभ बाई पुत्री भवानी सिंह पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चोतरा का खेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

28. भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 –एन के किलोमीटर 346.5 से 452.426 किलोमीटर तक जिला कोटा में स्थित सडक निर्माण फोरलेन के संदर्भ में ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 1.42 हैक्टर खाता सख्या 208 अधिग्रहण की जा चकुही)

29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.12.2022

1. **अपीलान्ट** द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 27 एक परिवार के सदस्य हैं जिनके पूर्वजों के मध्य ग्राम गोयन्दा में खाता संख्या 207, 208 व 209 में वर्णित आराजी का मौखिक पारिवारिक विभाजन गत कई वर्षों पूर्व हो चुका है और उसी अनुसार वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । सहखातेदार श्रीमती जतन बाई पत्नी रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान प्रतिवादी कम 1व 2 हैं जो पूर्व में ही सहखातेदार हैं । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों में रघुनाथ सिंह, नाथूसिंह व हनुवत सिंह तीनों सगे भाई थे और तीनों भाईयों में उनके जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी के साथ–साथ अन्य आराजियात का विभाजन हो गया था । वादपत्र में वर्णित वर्तमान खाता संख्या 207, 208 व 209 की सम्पूर्ण आराजी नाथू सिंह को विभाजन में प्राप्त हुई थी और नाथू सिंह जी की मृत्यु के बाद वादीगण कम 1 लगायत 3 उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदा काबिज काश्त चले आ रहे हैं । राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन दर्ज नहीं

होने से स्व0 रघुनाथ सिंह, स्व0 नाथू सिंह एवं हनुवंत सिह सभी के सहखाते तथा रघुनाथ सिंह, नाथूसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के साथ –साथ हनुवंत सिंह के सह खाते आराजी दर्ज रही । जिसमें से खाता संख्या 207 की आराजी सभी के खाते दर्ज रही । खाता संख्या 208 में आराजी स्व0 नाथू सिंह के वारिसान एवं हनुवंत सिंह के खाते दर्ज रही तथा खाता संख्या 209 की आराजी स्व0 नाथू सिंह के वारिसान के खाते दर्ज रही । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य हुए आपसी विभाजन में वादीगण के पिता नाथू सिंह जी को उक्त वर्णित आराजीयात प्राप्त हुई थी किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में समस्त सहखातेदारान का नाम अब तक चला आ रहा है जिससे वादीगण के हक प्रभावित हो रहे हैं और पूर्व विभाजन के अनुसार वादीगण क्रम 1, 2 व 3 के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे उक्त वर्णित समस्त आराजीयात से सम्बन्धित जमाबन्दी से शेष सभी सहखातेदारान के नाम हटाने और उनके स्थान पर वादीगण क्रम 1, 2 व 3 को समस्त आराजीयात के लिये खातेदार घोषित करावे। खसरा नम्बर 898 एवं 907 को भी वादीगण क्रम 1 लगायत 3 ने तीन हिस्सों में विभाजित कर रखा है और इसी अनुसार काबिज काश्त हैं । खसरा संख्या 908, खसरा नम्बर 1204 वादी क्रम 1 व 2 को आपसी विभाजन में प्राप्त हुई जिसमें पूर्व पश्चिम मेड कायम कर दी हिस्से कर रखे हैं । उत्तरी हिस्सा वादी क्रम 1 तथा दक्षिणी हिस्सा वादी क्रम 2 के कब्जे काश्त में है । उक्त सम्पूर्ण रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन में अधिग्रहित की जा चुकी है तथा उक्त भूमि के अधिग्रहण से सम्बन्धित मुआवजा राशि वादी क्रम 1व 2 प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इस बाबत् उन्हें अवाप्ति अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करवायी परन्तु उनके द्वारा उक्त आपत्ति को इसलिए खारिज कर दिया कि उक्त सम्बन्धित खाते में अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं । उक्त अवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित की जा चुकी है तथा आपसी विभाजन एवं कब्जे के आधार पर वादी क्रम 01 व 2 ही विधिवत् रूप से मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इसी प्रकार अन्य भूमि का विभाजन किया हुआ है । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक लगान कायम करवाया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 27 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण क्रम 1, 2 व 3 के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत27 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि खाता संख्या 207, 208, 209 में वर्णित आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा पक्षकारान के मध्य इस आशय की विभाजन की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 6 में वर्णित विभाजन अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 27 के पूर्वजों के नाम खाते से खारिज किया जावे । खाता संख्या 208 की आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 1.42 हैक्टर जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 ए के लिये अधिग्रहित की जा चुकी है की मुआवजा राशि का भुगतान वादी क्रम 1व 2 को कराये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया था । वादीगण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शहादत के खण्डन में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शहादत भी प्रस्तुत नहीं की गई इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने वाद वादीगण खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं । वादीगण अपीलान्ट एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के पूर्वज रघुनाथ सिंह, नाथूसिंह, हनुवन्त सिंह सगे भाई थे । उक्त तीनों भाइयों ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी एवं अन्य आराजी का आपसी सहमति से मौखिक पारिवारिक विभाजन कर उक्त विभाजन को एक्ट अपोन कर लिया । उक्त मौखिक पारिवारिक विभाजन की पालना में विभाजन में प्राप्त भूमि पर तन्हा रूप से पृथक–पृथक बहैसियत खातेदार काश्तकारी एवं मालिक काबिज हो गये । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया था । वादीगण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शहादत के खण्डन में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शहादत भी प्रस्तुत नहीं की गई इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने वाद वादीगण खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । वादीगण अपीलान्ट कम 1 लगायत 3 ने वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी खाता संख्या 207, 208, 209 की आराजी का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था । मुताबिक आपसी मैखिक विभाजन वादपत्र की चरण संख्या 06 में लिखे अनुसार व पृथक – पृथक रूप से काबिज हो गये । मुताबिक पारिवारिक समझौता खाता संख्या 208 की खसरा नम्बर 1204 रकबा 1.42 हैक्टर भूमि वादी अपीलान्ट कम 1 व 2 को प्राप्त हुई जिस पर दोनों काबिज काश्त हैं । बाद में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1204 की सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन में अधिग्रहित की जा चुकी है । इस कारण मुआवजा राशि भी वादी अपीलान्ट प्राप्त करने के अधिकारी हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1976 (एससी) पेज 807, आरआरडी 1978 पेज 219, आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आरएलडब्ल्यू 2001 (1) (एससी) पेज 89, डीएनजे 2000–01 (राज0) पेज 245, आरआरडी 2009 पेज 702 उद्धृत की ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोयन्दा की खाता संख्या नया 209 में कुल 05 किता की रकबा 0.75 हैक्टर आराजी किशोर, तेजबाई, नारायण सिंह, बल्लभबाई, भैरूसिंह, भूलाबाई एवं भंवरबाई के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 2, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2074 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 प्रदर्श–4 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोयन्दा की खाता संख्या नया 208 में खसरा नम्बर 1204 की रकबा 1.42 हैक्टर भूमि किशोर सिंह, तेजबाई, नारायण सिंह, भैरूसिंह, भूलाबाई, भंवर बाई, बल्लभबाई एवं हनुवन्त सिंह के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5 संलग्न है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2074 प्रदर्श– 6 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 प्रदर्श–7 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोयन्दा की खाता संख्या नया 207 में कुल किता 05 की रकबा 5.09 हैक्टर भूमि किशोर सिंह, खुमान सिंह, जतनबाई, तेजबाई, नारायण सिंह, भैरूसिंह, भूलाबाई, भंवर बाई, भवानी सिंह, बल्लभबाई, शिवसिंह, सुरेन्द्र सिंह, एवं हनुवन्त सिंह के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2074 प्रदर्श– 8, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 9, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपिक प्रदर्श– 10, प्रार्थी नारायण सिंह, भैरूसिंह द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी को लिखे गये पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 11 संलग्न है । प्रार्थी नारायण सिंह, भैरूसिंह द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी को लिखे गये पत्र के सम्बन्ध में जुगराज सिंह, ओमसिंह, हरीसिंह, दशरथ सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 12 संलग्न है ।

9. वादी की ओर से बयान भैरूसिंह पीडब्ल्यू–1, नारायण सिंह पीडब्ल्यू–2, किशोर सिंह पीडब्ल्यू–3 एवं शपथ पत्र छीतर सिंह एवं करण सिंह प्रस्तुत किये गये हैं ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने अपने कथनों में मुख्य रूप से पक्षकारान के मध्य सहमति से बंटवारा होने सम्बन्धी कथन किया है परन्तु उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेजी या अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे पक्षकारान के मध्य सहमति से विभाजन किया जाना साबित हो । वादीगण अपीलान्ट ने इसके अलावा मुख्य रूप से कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1204 की आराजी अपीलान्ट को बंटवारे में प्राप्त हुई थी जिसका मुआवजा भी अपीलान्ट प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अपीलान्ट वादी को विधि अनुसार स्वयं अपने साक्ष्यों से वाद को साबित करना होता है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ठोस साक्ष्यों के अभाव में अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहे हैं । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसे मौखिक विभाजन के आधार पर वादीगण अपीलान्ट अपने खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते हैं । वादीगण अपीलान्ट ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौते से विभाजन होना साबित होता हो । वादी अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय ने जिस तथ्यों के आधार पर अपना वाद लेकर आये हैं उनके आधार पर उनको वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त भूमि

प्रतिवादीगण 1 लगायत 27 की पुश्तैनी भूमि थी जिसके विधि अनुसार विभाजन स्वरूप वादीगण कम 1 लगायत 3 के पूर्वजों को प्राप्त हुई हो । वादीगण कम 1 से 3 के अतिरिक्त प्रतिवादी कम 1 से 27 के अथवा उनके पूर्वजों के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर वादीगण द्वारा सहखातेदारान को हटाकर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हों । पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 11, 12, 17, 18, 19, 20 द्वारा दिनांक 04.10.2019 को तथा प्रतिवादी संख्या 22 द्वारा दिनांक 22.01.2020 को तथा प्रतिवादी संख्या 16 द्वारा दिनांक 07.02.2020 को अपने इकबालिया जवाब में मद संख्या 1 से 18 को सही व सच होना अंकित किया है परन्तु यहॉ पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में किये गये विवेचन से सहमत हैं, इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण भी विवादित भूमि के सहखातेदार अंकित हैं ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस साक्ष्य/दस्तावेज के केवल पारिवारिक बंटवारे के कथन के आधार पर अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । विधिवत पारिवारिक बंटवारे का कोई दस्तावेज अथवा ठोस साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । आदेश 15 नियम 1 सीपीसी का जो हवाला विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दिया गया है, इस प्रकार में इस धारा के आधार पर अपील स्वीकार नहीं की जा सकती । अपीलान्ट वादी को स्वयं ठोस साक्ष्यों/दस्तावेजों से अपना वाद साबित करना होता है ।

11. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# अपील में डिक्री

**(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)**

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या : 2020/145**

1. नारायण सिंह आत्मज स्व0 नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. हनुमान सिंह आत्मज स्व0 श्री नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/2. स्व0 दिलीप सिंह आत्मज स्व0 श्री नारायण जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये कायममुकामान :-
   1/2/1. हर्ष वर्धन सिंह आयु 14 वर्ष आत्मज स्व0 दिलीप सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं प्रार्थी क्रम 03 श्रीमती फूल कंवर पत्नी श्री दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी सरस दूध की डेयरी के पास, शिवपुरा कोटा ।
   1/2/2. साक्षी कंवर आयु 16 वर्ष आत्मज स्व0 दिलीप सिंह जाति राजपूत नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं प्रार्थी क्रम 3 श्रीमती फूल कंवर पत्नी श्री दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी सरस दूध की डेयरी के पास, शिवपुरा कोटा ।
   1/2/3. श्रीमती फूल कंवर पत्नी स्व0 दिलीप सिंह जी जाति राजपूत निवासी सरस दूध की डेयरी के पास, शिवपुरा कोटा ।
2. भैरूसिंह आत्मज स्व0 नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायकमुकाम :-
   2/1. बलराज सिंह आत्मज स्व0 श्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी पुलिस लाईन बोरखेडा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/2. बलवीर सिंह आत्मज स्व0 श्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/3. श्रीमती तंवर कंवर पत्नी स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/4. श्रीमती आशा कंवर पत्नी स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/5. श्रीमती निशा कंवर पत्नी स्व0 भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. किशोर सिंह आत्मज स्व0 नाथू सिंह ।
4. श्रीमती तेज बाई पुत्री स्व0 श्री नाथू सिंह ।

5. श्रीमती बल्लभ बाई पुत्री स्व0 श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

**बनाम**

1. स्व0 खुमान सिंह आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकाम:—
   1/1. राजेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/2. दशरथ सिंह आत्मज स्व0 खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/3. श्रीमती भंवर बाई पुत्री स्व0 खुमान सिंह पत्नी श्री नन्दसिंह जी जाति राजपूत निवासी छावनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती आजाद कंवर पुत्री स्व0 खुमान सिंह पत्नी श्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडी पोस्ट बिशनिया तहसील सीतामडा जिला मन्दसौर (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/4/1. श्री सुल्तान सिंह आत्मज अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडी पोस्ट बिशनिया तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) ।
   1/5. श्रीमती गुड्डी कंवर पुत्री स्व0 खुमान सिंह पत्नी श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छपावदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. सुरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवीस ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. बृजराज सिंह हाडा आत्मज स्व0 लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी 260—उर्मिला स्कूल के पास, बापू कॉलोनी कुन्हाडी कोटा ।
4. भूपेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवीस मकान नं0 136—ए, आदित्य नगर ग्रामीण पुलिस लाईन रोड, बोरखेडा कोटा ।
5. विजेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. किशन सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. जितेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. बिशन सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. श्रीमती दौलत कंवर पुत्री श्रीमती भूली बाई पिता लक्ष्मण सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम झगनावदा तहसील पेटलावाद जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) ।
10. श्रीमती परवीन कंवर पुत्री श्रीमती भूली बाई पिता लक्ष्मण सिंह पत्नी नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 136— इ— आदित्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेडा कोटा ।

11. शिवराज सिं आत्मज स्व0 श्री चतर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंमजण्डी जिला कोटा ।
12. नन्दसिंह आत्मज स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा ।
13. विरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा ।
14. आनन्द कंवर पुत्री स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी व पोस्ट धवदकलां तहसील बेगू जिला चितौडगढ ।
15. ताज कंवर पुत्री भंवर बाई पिता चतर सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति रापजूत निवासी सुभाष कॉलोनी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
16. बिशनु कंवर पुत्री भंवर बाई पिता चतर सिंह जी पत्नी रणजी सिंह जाति राजपूत निवीस मकान नं0 30 कालका मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झालावाड जिला झालावाड ।
17. जुगराज सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कला तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
18. ओम सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
19. स्व0 श्री हरिसिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जरिये कायममुकामान :–
    19/1. धन सिंह आत्मज स्व0 हरिसिंह जाति राजपूत निवासी इमाम सागर की गली, बाडा बाजार झालावाड ।
    19/2. नरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 हरिसिंह जाति राजपूत निवासी इमाम सागर की गली, बाडा बाजार झालावाड ।
    19/3. सीमा शक्तावत पुत्री स्व0 हरिसिंह पत्नी जाति राजपूत निवीस खेडली फाटक लॉर्ड कृष्णा स्कूल के पास कोटा ।
    19/4. कंवर बाई पत्नी स्व0 हरिसिंह जी जाति राजपूत निवासी इमाम सागर की गली, बाडा बाजार, झालावाड।
20. शम्भू सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
21. दशरथ सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
22. रतन कंवर पुत्री स्व0 हनुवंत सिह जाति राजपूत निवासी नैनवा रोड, बकालाल जी की छतरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
23. भंवर सिंह आत्मज भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
24. दशरथ आत्मज भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
25. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

26. स्व0 भंवर बाई पुत्री भवानीसिंह पत्नी श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छोडी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जरिये कायममुकाम :–
   26/1. युवराज सिंह आत्मज नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छावनी पोस्ट छावनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   26/2. नरपेन्द्र सिंह आत्मज नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छावनी पोस्ट छावनी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
27. सोरभ बाई पुत्री भवानी सिंह पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चोतरा का खेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
28. भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 –एन के किलोमीटर 346.5 से 452.426 किलोमीटर तक जिला कोटा में स्थित सडक निर्माण फोरलेन के संदर्भ में ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 1.42 हैक्टर खाता सख्या 208 अधिग्रहण की जा चकुही)
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी कोटा, जिला कोटा ।**

**वाद संख्या: 92/2019**

1. नारायण सिंह आत्मज स्व0 नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. भैरूसिंह आत्मज स्व0 नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3. किशोर सिंह आत्मज स्व0 नाथू सिंह ।
4. श्रीमती तेज बाई पुत्री स्व0 श्री नाथू सिंह ।
5. श्रीमती बल्लभ बाई पुत्री स्व0 श्री नाथूसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———वादी

## बनाम

1. खुमान सिंह आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. सुरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवीस ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. बृजराज सिंह हाडा आत्मज स्व0 लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी 260–उर्मिला स्कूल के पास, बापू कॉलोनी कुन्हाडी कोटा ।

4. भूपेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवीस मकान नं0 136–ए, आदित्य नगर ग्रामीण पुलिस लाईन रोड, बोरखेडा कोटा ।
5. विजेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. किशन सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. जितेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. बिशन सिंह आत्मज स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट जटवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. श्रीमती दौलत कंवर पुत्री श्रीमती भूली बाई पिता लक्ष्मण सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम झगनावदा तहसील पेटलावाद जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) ।
10. श्रीमती परवीन कंवर पुत्री श्रीमती भूली बाई पिता लक्ष्मण सिंह पत्नी नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 136– इ– आदित्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेडा कोटा ।
11. शिवराज सिंह आत्मज स्व0 श्री चतर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंमजण्डी जिला कोटा ।
12. नन्दसिंह आत्मज स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा ।
13. विरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रागंजमण्डी जिला कोटा ।
14. आनन्द कंवर पुत्री स्व0 श्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी व पोस्ट धवदकलां तहसील बेगू जिला चितौडगढ ।
15. ताज कंवर पुत्री भंवर बाई पिता चतर सिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति रापजूत निवासी सुभाष कॉलोनी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
16. बिशनु कंवर पुत्री भंवर बाई पिता चतर सिंह जी पत्नी रणजी सिंह जाति राजपूत निवीस मकान नं0 30 कालका मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झालावाड जिला झालावाड ।
17. जुगराज सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कला तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
18. ओम सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
19. श्री हरिसिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
20. शम्भू सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
21. दशरथ सिंह आत्मज स्व0 हनुवंत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कलमण्डी खुर्द पोस्ट कलमण्डी कलां तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
22. रतन कंवर पुत्री स्व0 हनुवंत सिह जाति राजपूत निवासी नैनवा रोड, बकालाल जी की छतरी बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

23. भंवर सिंह आत्मज भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
24. दशरथ सिंह आत्मज भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
25. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
26. भंवर बाई पुत्री भवानीसिंह पत्नी श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छोडी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
27. सोरभ बाई पुत्री भवानी सिंह पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चोतरा का खेडा तहसील के० पाटन जिला बून्दी ।
28. भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगंजमण्डी (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 –एन के किलोमीटर 346.5 से 452.426 किलोमीटर तक जिला कोटा में स्थित सडक निर्माण फोरलेन के संदर्भ में ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1204 रकबा 1.42 हैक्टर खाता सख्या 208 अधिग्रहण की जा चकुही)
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

# अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं होने से बहाल रखा जाना उचित है । अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 13.12.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 13.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा